न्यायालयः- अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : राकेश गोयल, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

(अतिरिक्त कार्यभार)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या:- 103/2021 थाना महिला थाना, धौलपुर

विविध फौजदारी प्रकरण संख्याः- 247/2026

भूपेन्द्र सिंह शाक्य उर्फ टिकू पुत्र भगवान सिंह शाक्य निवासी पंचायती पंजाया कमला नगर थाना कमला नगर आगरा हाल टेडी बगिया कालिन्दी बिहार आगरा

.......प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य

....अभियोगी

जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 बी.एन.एस.एस.

उपस्थितः-

01. विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह गुर्जर, अभियुक्त की ओर से।

02. विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री मुकेश सिकरवार, वास्ते राजस्थान राज्य।

<u>**आदेश**</u> <u>दिनांकः 09.03.2026</u>

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. जरिये अधिवक्ता सर्वप्रथम सैशन न्यायाधीश, धौलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो कालांतर में विधिवत् सुनवाई हेतु अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। नकल दिलाई जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी को उपरोक्त उनवानी प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है जबकि प्रार्थी निर्दोष है। उससे कोई बरामदगी शेष नहीं है और न ही उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड है। प्रार्थी पर ऐसा कोई आरोप नहीं है जिसकी सजा आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड से

दण्डनीय हो। प्रार्थी मुताबिक न्यायालय आदेश जमानत मुचलका पेश करने को तत्पर है। प्रार्थी के भागने अथवा फरार होने की कतई संभावना नहीं है। प्रार्थी द्वारा साक्ष्य अभियोजन को प्रभावित किये जाने की कतई कोई संभावना नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जावे।

3. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त कथनों का विरोध करते जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 25.06.21 को परिवादी योगेन्द्र ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसकी नाबालिग पुत्री प्रांशी तथा उसके पडोसी अजय सिंघल की बहन कुमारी वेस्यनवी सिंघल को सुमित चौहान ट्यूशन पढाता था । दिनांक 25.06.21 को दोपहर 12 बजे उक्त दोनों नाबालिग लडकियों को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है । प्रांशी उसके घर से सोने की सीतारानी पांच तोला व एक सोने का हार दो तोला, सोने की जंजीर और कानों की बिजली/झुमकी और 10200/- रूपये नगदी अपने साथ ले गई है, आरोपी सुमित के मोबाइल नंबर 9664067669, 9887430630 है, ...इत्यादि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना महिला थाना, धौलपुर में प्रथम सूचना संख्या 103/21 अंतर्गत धारा 363 आईपीसी में दर्ज किया गया । बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363, 420, 406, 120बी आईपीसी व 84 जेजे एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्त को दिनांक 24.02.26 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

5. केस डायरी के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का अन्य आपराधिक रिकार्ड शून्य है ।

6. केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से यह प्रकट है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर धारा 363, 420, 406, 120बी आईपीसी व 84 जेजे एक्ट के आरोप प्रमाणित पाये गये है जो कि गंभीर प्रकृति के आरोप है। केस डायरी पर

संलग्न अभियुक्त के मोबाइल नंबरों की सीडीआर से अभियुक्त का प्रकरण में संलिप्त होना प्रकट होता है । अतः इस स्टेज पर प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किए बिना, मामले के समस्त तथ्यों परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः प्रार्थी/अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह शाक्य उर्फ टिकू पुत्र भगवान सिंह शाक्य निवासी पंचायती पंजाया कमला नगर थाना कमला नगर आगरा हाल टेडी बगिया कालिन्दी बिहार आगरा की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बीएनएस अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थी/अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जावे।

(राकेश गोयल)
(अतिरिक्त कार्यभार)
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
धौलपुर (राज0)

8. आदेश आज दिनांक 09.03.2026 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश गोयल)
(अतिरिक्त कार्यभार)
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
धौलपुर (राज0)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुहास चकमा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (रिट याचिका संख्या 1082/2020) में जारी निर्देशों के अनुपालन में

न्यायालयः- अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, धौलपुर राज.

प्रकरण का शीर्षकः- भूपेन्द्र बनाम सरकार

सीआईएस संख्याः- 247/2026

आदेश दिनांकः- 09.03.2026

आदेश का प्रकार

(अ) जमानत अस्वीकार

अभियुक्त/आवेदक को सूचित किया जाता है कि वह इस न्यायालय द्वारा आदेश के विरूद्ध उपचार प्राप्त करने हेतु निःशुल्क विधिक सेवा निम्नलिखित स्थानों पर प्राप्त कर सकता है -

1. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर राज.

2. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला जयपुर राज. ताल्लुका विधिक सेवा समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (न्यायालय में स्थित)